

भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड : अबू का मकबरा, कैसर गंज, मेरठ- 250 002 (उ.प्र.) फोन : 0121-2520725, 2533259, फैक्स : 0121-2528749
रजिस्टर्ड ऑफिस : भारत भवन, 4 और 6 करीमभाय रोड, बॉलार्ड ईस्टेट, पो. नं. 688, मुंबई- 400 001

एन. कृष्णमोहि
प्रदेशिक प्रबंधक (रिटेल)
भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
अबू का मकबरा, कैसर गंज
मेरठ-250 002 (उ.प्र.)

निःशुल्क जल सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी।

9. सिंचाई विभाग/जल निगम द्वारा वन विभाग की नहरियाँ/पौधों की एवं वन विभाग के कर्मचारियों को करने के बाद ही भूमि हस्तान्तरित की जायेगी।
 8. बहुमूल्य वन सम्पदा से आच्छादित एवं वन जंगलों से भरपूर, वन क्षेत्रों का हस्तान्तरण यथा सम्भव प्रस्तावित न किया जाये। केवल अप्रियदाय कार्यों से ही ऐसा किया जाना सम्भव होगा। परन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि वन सम्पदा की क्षति पूर्ण एवं वन्य जंगलों के खण्ड विवरण की व्यवस्था सुनिश्चित
 7. हस्तान्तरित वन भूमि पर वन विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के निरीक्षण हेतु जाने पर सम्बन्ध में बनाये गये मुनारे आदि की भी देखभाल करेगा।
 6. भूमि का सीमांकन याचक विभाग अपने व्यय से सम्बन्धित वनाधिकारी की देखरेख में करवायेगा तथा इस विभाग को करना होगा।
 5. हस्तान्तरित विभाग, उसके कर्मचारी, अधिकारी अथवा ठेकेदार वन भूमि को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायेगा और ऐसा किये जाने पर सम्बन्धित वनाधिकारी द्वारा निर्धारित मुआवजे का भुगतान उक्त इसके अतिरिक्त कोई अन्य वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है।
 4. भूमि का संयुक्त निरीक्षण करके यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि मांगी गई न्यूनतम भूमि है। तथा व्यक्ति विशेष को हस्तान्तरित नहीं करेगा।
 3. याचक विभाग की प्रस्तावित भूमि अथवा उसके किसी भी भाग को किसी अन्य विभाग, संस्था अथवा
 2. प्रस्तावित भूमि का उपयोग केवल कृषि प्रयोजन हेतु ही किया जायेगा। अन्य प्रयोग हेतु कदापि नहीं।
 1. भूमि हस्तान्तरण के बाद भी उसके वैधानिक स्तर से कोई परिवर्तन नहीं होगा और वह पूर्व की भांति रक्षित/आरक्षित वन भूमि बनी रहेगी।
- (वन अनुभाग-3 उ०प्र० शासन की पत्र संख्या 7314/14-31980/82 दिनांक 31-12-1984 द्वारा निर्धारित)

मानक शर्तें

संलग्नक-3

RN.DSB.OMP.UJHARI ON SAMBHAL-HASANPUR RD (MEERUT)



फिर भी वेष्ट का भी कटान अनिवार्य प्रतीत होता है।

10. याचक विभाग द्वारा हस्तान्तरित भूमि का उपयोग अन्य प्रयोजन करने पर वन भूमि स्वतः बिना किसी प्रकार के प्रतिकर का भुगतान किये वन विभाग को वापस हो जायेगी। वन भूमि की आवश्यकता याचक विभाग को न रहने पर भी हस्तान्तरित भूमि तथा उस पर निर्मित भवन आदि (Automatic) स्वतः बिना किसी प्रतिकर का भुगतान किये वन विभाग को प्रत्यावर्तित हो जायेगा।
11. सड़क निर्माण के प्रस्तावों पर "एलाइनमेंट" तय होते समय स्थानीय स्तर पर वन विभाग का परामर्श "भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण" के अतिरिक्त मुख्य अभियंता पर्वतीय क्षेत्र, पौड़ी को सम्बोधित करना होगा, बशर्ते ऐसा करना याचक विभाग के खर्चे से पर्याप्त न होगा और नई सड़क का निर्माण प्राधिकरण द्वारा किया जायेगा कि अथवा मार्ग बनाना अथवा वन मार्गों का मार्गोक्तर बदल कर पक्का करना होगा, बशर्ते ऐसा करना याचक विभाग के खर्चे से पर्याप्त न होगा और नई सड़क का निर्माण करना होगा, बशर्ते ऐसा करना याचक विभाग के खर्चे से पर्याप्त न होगा और नई सड़क का निर्माण
12. वन भूमि का मूल्य सम्बन्धित जिला अधिकांशी द्वारा प्रदत्त मूल्य सम्बन्धी प्रमाण पत्र के आधार पर आकलित होगा, जो याचक विभाग को मान्य होगा।
13. वन भूमि पर खड़े वृक्षों का निस्सारण वन विभाग द्वारा उ0प्र0 वन निगम अथवा अन्य कोई अप्रयुक्त प्रक्रिया जो वन विभाग उचित समझे द्वारा किया जायेगा। यदि किसी कारण से वृक्षों का निस्सारण वन विभाग द्वारा समय न हो सके और उसका पालन आवश्यक हो तो याचक विभाग द्वारा वृक्षों का बाजार मूल्य देय होगा।
14. हस्तान्तरित भूमि में पड़ने वाले वृक्षों के प्रतिकर में याचक विभाग द्वारा हस्तान्तरित भूमि के समुचित वृक्षारोपण का भुगतान अथवा एक पेड़ के स्थान पर दस पेड़ों का रोपण तथा तीन वर्ष तक परिपोषण व जो वन विभाग द्वारा निर्धारित किया जाये, का भुगतान वन विभाग को करना होगा। 1000 मीटर एवं 30 से अधिक ढाल पर खड़े वृक्षों का पालन निहिद्ध है। इसी प्रकार बाल के पेड़ों का पालन भी वर्जित है। ऐसे वृक्षों का पालन भी निरीक्षण वन संरक्षक स्तर पर ही हो सकेगा।
15. वन भूमि के ऊपर से विद्युत लाईन ले जाने में यथासंभव पेड़ों का कटान नहीं किया जायेगा या खम्भों को ऊंचा करे, उसे सुनियोजित किया जायेगा। यदि फिर भी पेड़ों का भी कटान अनिवार्य प्रतीत होगा



भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड : आबू का मकबरा, कैसर गंज, मेरठ- 250 002 (उ.प्र.) फोन : 0121-2520725, 2533259, फैक्स : 0121-2528749
रजिस्टर्ड ऑफिस : भारत भवन, 4 और 6 करीमभाय रोड, बॉलार्ड ईस्टेट, पी.बी. नं. 688, मुंबई- 400 001

एन. कृष्णमणि
प्रदेशिक प्रबंधक (रिटेल)
भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
आबू का मकबरा, कैसर गंज
मेरठ-250 002 (उ.प्र.)

आबू का मकबरा, कैसर गंज, मेरठ

भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड

प्रदेशिक प्रबंधक (रिटेल)

स्थान : अमरोहा

दिनांक : -

जायेगा।

मैं प्रमाणित करता हूँ कि मुझे उपरोक्त उल्लिखित सभी शर्तें मान्य हैं तथा उनका अनुपालन किया

अथवा उनका संचालन स्तर से आश्वासन प्राप्त हो जाये।

18. न विभाग का वारंटविक हस्तांतरण सभी किया जाये जब तक शर्तों का पूरा पालन कर लिया जाये

विशिष्ट प्रकार में कोई अन्य शर्तें लगायी जाती है तो वे याचक विभाग को मान्य होगी।

17. ऊपर लिखित मानक शर्तों के अतिरिक्त यदि भारत सरकार द्वारा अथवा वन विभाग द्वारा किसी

करना आवश्यक समझा जाता है तो ऐसा याचक अपने व्यय से स्वयं करायेंगा।

16. यदि नहर आदि निर्माण में भूमि क्षरण की सम्भावना होती है और नहर की दोनों पटरियों को पक्का

लिस पर सन्धिगत वन संरक्षक का अनुमोदन आवश्यक है।

है तो न्यूनतम ढेरी की संख्या संयुक्त स्थल निरीक्षक करके सन्धिगत उप वन संरक्षक की जायेगी।